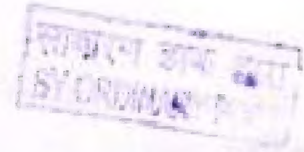
P.iss



मिसिल संख्या जेड.60011/06/2020-सीवीएससी

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सीवीएससी अनुभाग



निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 09 मार्च, 2021

To,

Sh. Anurag Sinha,

विषय: आरटीआई अधिनियम, २००५ के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपनी आर.टी.आई. एमओएचएफडब्ल्यू/आर/ई/21/00630, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के संदर्भ ले जोकि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27.02.2021 को प्राप्त हुआ था जिसमें आर.टी.आई.(RTI) अधिनियम, २००५ के तहत जानकारी मांगी गई है

संख्या क्रम	आवेदक के प्रशन	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, जबरदस्ती	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है।
ii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जायगी, सरकारी योजना पैंशन	आवेदन मे लिखी बातें निराधार है । किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नही है ।
iii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगा, ट्रेन, बस, मेट्रो मे चढ़ने नहीं मिलेगी	
iv	यदि कोई ias ips स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे की वैक्सीन ले नही तो ये कर देगे तो नागरिक क्या कर सकती क्या कोर्ट जा सकते है	
v	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए क्या वैक्सीन नहीं मिलेगे	
vi	क्या वैक्सीन नही लेने पर नौकरी से निकला जा सकता है वेतन रोका जा सकत है, निजी और सरकारी विभाग दोनों मे ।	

o/c

2. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो सुश्री, सुनीता नायर, उपसचिव, (सी. बी. ए. सी.), क.न. 435 सी.-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भवन भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति के ३० दिनो के भीतर अपील कर सकते है। वो इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी है।

भवदीय

सरूप सिंह

(सरूप सिंह)

अवर सचिव और सीपीआईओ, भारत सरकार

दूरभाष न: ०११-२३०६२९५९

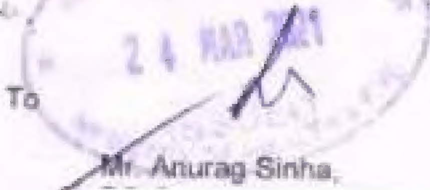
प्रति सूचनार्थ हेतु:

1. अनुभाग अधिकारी, आरटीआई सेल, स्वास्थ्य एवंम परिवार कल्याण मंत्रालय आर.टी.आई. फ .सं. एफटी/60011 एमओएचएफडबल्यू/आर/ई/21/00630, दिनांक 27.02.2021 के संदर्भ में।

2. अवर सचिव (प्रति.), स्वा.एवंम प.क.मंत्रालय

P.i.s.s

File No. A.60011/06/2020-CVAC
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(COVID-19 Vaccine Administration Cell)



साधारण डाक द्वारा
BY ORDINARY POST

Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Dated २४th March, 2021

To

Mr. Anurag Sinha,

Subject: -Information sought under RTI Act 2005 - reg.

Sir,

Please refer to your RTI application Registration No. MOHFW/R/E/21/00833, dated 13.03.2021, seeking information under RTI Act, 2005. The information in respect of Covid Vaccine Administration Cell, MoHFW is as under.

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद क्या हमारे दिमाग और हाथ मे टैटू चिप और न्यूरो लिंक चिप लगाया जाएगा क्या जो चिप नही लगायगे उनका सरकारी सुविधा बंद कर दिया जाएगा उनको भूखे मर दिया जाएगा	आपके प्रश्न अफवाहो पर आधारित है. कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है
ii	सुनने मे आ रहा है की जो भी व्यक्ति नही लेगे जिनके पास कोरोना वैक्सीन डिजिटल सर्टिफिकेट नही होगा उनको खाने पीना बंद कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा उनको भूखे मर दिया जाएगा और सरकार के द्वारा टॉर्चर किया जाएगा	
iii	क्या भारत सरकार पुलिस सेना की मदद से जनता को मार मार के कोरोना वैक्सीन लगायेगी डंडे और बंदूक की नोक पर	
iv	जिनको मास्क पहनने पर अस्थमा दमा या दम घुटने जैसा लगता है क्या उनको भी कंपलसरी है मास्क पहनना	मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है ।
v	क्या जिनके पास करोना का डिजिटल सर्टिफिकेट नही होगा उनका ट्रावल बैन कर दिया जाएगा । क्या जो नही लेगे उनको सरकार मानसिक शारीरिक रूप से क्षति पहुचाई की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देगी	प्रश्न अफवाहो पर आधारित है. कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है

o/c

2. If you are not satisfied with the above reply, an appeal can be made to Mrs. Sarita Nair, Deputy Secretary(CVAC), R. No. 435-C Wing, (Tel. No. 011-23061554), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan – 110011 within 30 days of receipt of this reply, who is the appellate authority in this matter.

Yours faithfully,

सरूप सिंह

(Saroop Singh)
Under Secretary to the Govt. of India & CPIO
Phone: 23062959

Copy to:-

1. Section Officer, RTI Cell, MoHFW, Nirman Bhawan w.r.t. RTI Application No. MOHFW/R/E/21/00833, dated 13.03.2021.
2. Guard file.



File No. A.60011/06/2020-CVAC
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(COVID-19 Vaccine Administration Cell)

साधारण डाक द्वारा
BY ORDINARY POST

Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Dated 23 March, 2021

Mr. Anurag Sinha,

Subject: -Information sought under RTI Act 2005 - reg.

Sir,

Please refer to your RTI application Registration No. MOHFW/R/E/21/00815, dated 12.03.2021, seeking information under RTI Act, 2005. The information in respect of Covid Vaccine Administration Cell, MoHFW is as under:

संख्या क्रम	आवेदक के प्रशन	उत्तर
i.	Corona Vaccine लेने पर यदि किसी को मौत हो जाती है या साइड इफेक्ट होता है जो कौन जिम्मेवार होगा सरकार या वैक्सीन कंपनी क्या परिवारे को मुआवज़ा दिया जाएगा	आपके सारे प्रश्न अफवाहों पर आधारित है चूंकि कोरोना की वैक्सीन लेना या न लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है अंत:एव सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।
ii	सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही है जो वैक्सीन नहीं लेगा उसका सैलरी रोक दिया जाएगा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा	
iii	क्या अब घर से बाहर निकलने के लिए, corona टीका का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसके पास नहीं होगा उनको निकलने नही दिया जायेगा जो निकलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा	
iv	जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नही होगा उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा	
v	जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा उसको हर सरकारी तरीके से प्रताडित किया जायेगा	
vi	जिन बच्चो के पास सर्टिफिकेट नही होगा उनको स्कूल, कॉलेज, university मे एड्मिशन नही होगा	
vii	जिनके पास सेरिफिकैट नही होगा वह कोई भी जॉब नहीं कर पाएगा	

2. If you are not satisfied with the above reply, an appeal can be made to Mrs. Sarita Nair, Deputy Secretary(CVAC), R. No. 435-C Wing, (Tel. No. 011-23061554), Ministry of Health &

Family Welfare, Nirman Bhawan – 110011 within 30 days of receipt of this reply, who is the appellate authority in this matter.

Yours faithfully,

(Saroop Singh)
Under Secretary to the Govt. of India & CPIO
Phone: 23062959

Copy to:-

1. Section Officer, RTI Cell, MoHFW, Nirman Bhawan w.r.t. RTI Application No. MOHFW/R/E/21/00815, dated 12.03.2021.
2. Guard file.